राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–800022

अपीलीय प्राधिकार के समक्ष सूचना का अधिकार संबंधी अपील वाद संख्या–52 (लो0सू0अ0)/2022–23

श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰ः–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503

बनाम

लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
26.10.2022	श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰ः–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 के माध्यम से एक प्रथम अपील आवेदन दिनांक–20.10.2022 इस कार्यालय में दिनांक–21.10.2022 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील आवेदन के साथ शुल्क के रूप में 10/- रूपए का पोस्टल ऑर्डर संख्या–59F 820778 दिनांक–अस्पष्ट संलग्न है। इसे लेखा शाखा को हस्तगत करायें। अपीलकर्त्ता श्री अजय कुमार चौरसिया ने अपने अपील आवेदन में यह सूचित किया है कि उनके द्वारा दिनांक–19.09.2022 को सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन लोक सूचना पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय को दिया था, परंतु लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष प्रथम अपील दायर किया है। साथ ही उन्होंने उक्त अपील आवेदन के साथ प्रपत्र 'क' दिनांक–19.09.2022 की प्रति संलग्न की है। अतः लोक सूचना पदाधिकारी से उपर्युक्त प्रपत्र 'क' दिनांक–19.09.2022 से संबंधित अभिलेख की मॉग करें तथा अभिलेख पुनः सुनवाई हेतु दिनांक–15.11.2022 को उपस्थापित करें। सभी संबंधित को सूचित करें। 26/10/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	

अपील वाद संख्या–52 / 2022–23

आदेश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश फलक	
15.11.2022	दिनांक–26.10.2022 को पारित आदेश के क्रम में लोक सूचना पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी श्री अजय कुमार चौरसिया, बंगला नं॰:–85, आनन्द बाजार, दानापुर कैंट, सरकुलर रोड, जिला–पटना, पिन कोड–801503 से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत समर्पित प्रपत्र 'क' दिनांक–19.09.2022, को दिनांक–21.09.2022 को इस सचिवालय में पंजीकृत किया गया है। संलग्न प्रपत्र 'क' के माध्यम से दिनांक–01.09.2022 को दिए गए आवेदन पर कृत कार्रवाई की सूचना की माँग अपीलार्थी द्वारा की गई है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–65 दिनांक–28.09.2022 के माध्यम से आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक–01.09.2022 को समेकित रूप से विशेष कार्य पदाधिकारी, लोक शिकायत निवारण केन्द्र, सूचना भवन, पटना को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, जन शिकायत, राज्यपाल सचिवालय ने अपने पत्रांक–185 दिनांक–20.10.2022 के माध्यम से आवेदक को कृत कार्रवाई की सूचना उनके प्रपत्र 'क' दिनांक–19.09.2022 में माँगी गई सूचना के आलोक में उपलब्ध करा दी गई है। उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वाद में अग्रतर कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सभी संबंधित को सूचित करें। ह0/ 15/11/2022 **विशेष कार्य पदाधिकारी** **–सह–** **प्रथम अपीलीय प्राधिकार**	